Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golamber, Nehru Marg, Patna-800001

(Registration No-663/2003)

Website: basabihar.com, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha President

Mob. No.- 9334118192



Anil Kumar General Secretary

Mob. No.- 9431409463

Memo No 31

Date 17.2.2020

Vice President Md. Moeezuddin 9304951990

> Ajay Kumar 9835737317

Joint Secretary Subodh Kumar 7979919465

Gopal Sharan 8210342042

Treasurer Sunil Kumar Tiwary 9431085120

Joint Treasurer Mona Jha 9430881025

दिनांक 09.02.2020 को अध्यक्ष, बिहार एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन की अध्यक्षता में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक की कार्यवाहीः

(Uploaded on BASA Website basabihar.org)

1. उपस्थितिः उपस्थिति पंजी के अनुसार।

- 2. बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा कल्याण कोष में स्वतः सहयोग राशि जमा करने पर संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव तथा उपस्थित सदस्यों द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
- 3. विगत बैठक की कार्यवाही संपुष्टि के क्रम में श्री सुधीर कुमार द्वारा बासा भवन के कमरों को सदस्यों के उहरने पर सहयोग स्वरूप ली जाने वाली राशि को कम करने का प्रस्ताव दिया गया। उपस्थित सदस्यों ने विमर्शोपरांत निर्णय लिया कि संघ कोष की वित्तीय स्थिति को देखते हुए भवन का सहयोग स्वरूप ली जाने वाली राशि को कम करने के स्थान पर आवासित पदाधिकारियों को देय सुविधाएं बढ़ाना श्रेयस्कर होगा।
- 4. ऐसा पाया जा रहा है कि भवन आरक्षण के बाद उसके कुछ हिस्से को क्षत विक्षत कर दिया जाता है या आंशिक रूप से गंदा कर दिया जाता है। इस कारण भवन आरक्षण के लिए 5000/- रू० सुरक्षा शुल्क लेने का निर्णय लिया गया। भवन के उपयोग के बाद क्षतिपूर्ति शुल्क रखकर अवशेष राशि वापस किया जाएगा।
- 5. सदस्यों के प्रस्ताव पर सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि इस वित्तीय वर्ष के पश्चात् बिहार एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन (बासा) के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को संघ भवन का आरक्षण नहीं किया जाएगा। सर्वसम्मित से इस कार्यालय के ज्ञापांक 65 दिनांक 06.12.2019 की कार्रवाई की कंडिका 4 (5) को तत्काल प्रभाव से विलोपित करने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मित से यह भी निर्णय लिया गया कि भवन के दूसरे तल्ले को किसी भी हालत में किसी के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। पूर्व बैठक के शेष निर्णयों को अनुमोदित किया गया।
- 6. बिहार एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन एक अलाभकारी संगठन है। अतः आयकर अधिनियम की धारा 12(A) तथा 80 के तहत आवेदन दायर करने के लिए अध्यक्ष / महासिचव / कोषाध्यक्ष को अधिकृत किया गया। चालू वित्तीय वर्ष का आयकर Return एवं अन्य कार्य के लिए श्री कुमार हिर जी,चार्टर्ड एकाउंटेन्ट,को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।



- 7. गत कार्यकारिणी की बैठक के बाद संघ की मांग पर बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव हेतु बिहार सरकार की अनुशंसा का निर्णय तथा जिला में पदस्थापित उप समाहर्त्ता को वाहन सुविधा तथा महिला पदाधिकारी के लिए शौचालय की व्यवस्था संबंधी सरकार के निर्णय का स्वागत किया गया।
- 8. सरकार द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को माननीय न्यायालय के कथित न्यायादेश के आलोक में प्रोन्नित नहीं देने के निर्णय के विरूद्ध महामिहम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष / सभापित, विधानमंडल, मुख्य सिवव तथा अपर मुख्य सिवव, सामान्य प्रशासन विभाग आदि से संघ के प्रतिनिधि द्वारा ज्ञापन देने का सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया। यदि सरकार द्वारा फरवरी, 2020 तक प्रोन्नित प्रारम्भ नहीं की जाती है तो मार्च में एक दिन काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा। तत्पश्चात् अप्रैल, 2020 में स्थिति की समीक्षोपरान्त आगे की रणनीति तय की जाएगी।
- 9. सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि बिहार एडिमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन एवं बासा शब्द का निबंधन सक्षम प्राधिकार के समक्ष कराया जाए ताकि कोई भूमि सहकारी सिमिति इत्यादि द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सके।
- 10. विमर्शोपरांत सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि बीमा कंपनियों से संपर्क कर बासा के सभी सदस्यों का बीमा कराया जाए, जिसका प्रीमियम भुगतान बासा के कल्याण कोष से किया जाएगा।
- 11. सर्वसम्मित से अध्यक्ष / महासचिव को कार्यकारिणी सदस्यों में से सदस्यों को एक-एक जिला का प्रभारी नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने हेतु प्राधिकृत किया गया। प्रभारी सदस्य अपने जिला की गतिविधियों का coordination करेंगे।
- 12. संघ द्वारा संधारित विभिन्न मदों में वार्षिक सहयोग राशि नियमित रूप से नहीं प्राप्त होने के कारण आकर्रिमक घटना, विधिक परामर्श एवं दैनिक खर्च में किठनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतएव, सर्वसम्मित से निर्णय ितया गया िक पूर्व से क्रमशः कल्याण, सामान्य एवं विधिक कोष के िलए निर्धारित वार्षिक सदस्यता सहयोग राशि 1000 रूपया को बढ़ाकर 1200 रूपया प्रति वर्ष करते हुए राशि को सदस्यों के वेतन खाते से Standing Instruction/ECS के माध्यम से सामान्य कोष (S/Ac. No.39088535786 IFSC Code SBIN0018815) में 200/-एवं कल्याण कोष (S/Ac. No.39088534465 IFSC Code SBIN0018815) में 100/-मासिक रूप से प्राप्त की जाए। चूँिक अधिकांश सदस्यों का वेतन खाता स्टेट बैंक में संधारित है, अतएव SBI को ही Mother बैंक मानकर संघ भवन के बगल के नियोजन भवन में संधारित खाता में राशि जमा करने का निर्णय ितया गया।
- 13. सामान्य कोष में रूपए 200 / —प्रति माह जमा होने वाली राशि से 40% राशि (यानि रूपए 80 / —मात्र) विधि मद तथा 10% राशि (यानि रूपए 20 / —मात्र) सांस्कृतिक मद
- 14. सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि अब SBI में संधारित सामान्य एवं कल्याण कोष के अतिरिक्त PNB में संधारित केवल भवन कोष का बैंक खाता चालू रहेगा। शेष सभी बैंक खाताओं को बंद करने का निर्णय लिया गया।
- 15. बासा कार्यालय में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के वेतन की ऊपरी सीमा 35000 / —प्रतिमाह की जाती है।इससे अधिक वेतन किसी भी कर्मचारी को भविष्य में
- 16. सर्वसम्मित से यह निर्णय लिया गया कि संघ के सदस्यों को किसी भी पत्र/कार्यवाही/सूचना इत्यादि का तामिला बासा के अधिकृत वेबसाइट

basabihar.org से किया जाएगा।Website पर uploaded पत्र/कार्यवाही/सूचना को सभी सदस्यों का तामिला समझा जाएगा।

17. संघ के सदस्यों द्वारा कल्याण कोष में पर्याप्त सहयोग राशि दिए जाने का स्वागत किया गया तथा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि संघ के पाँच मृत सदस्यों, जिन्हें विगत वर्षों में निर्धारित 1 लाख रूपये की राशि नहीं दी गई है, उन्हें 1.50 लाख रू०

अनुग्रह अनुदान दी जाए। यह व्यवस्था भविष्य में भी जारी रहेगी।

कालान्तर में प्राप्त अनुभव के आधार पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बासा उपविधि में कतिपय संशोधन आवश्यक है। Bihar Societies Registration Rules, 2018,Published vide Notification No. BS³-100104/2013-874, dated 1.6.2018 के अनुसार नियमावली संशोधन हेतु निम्न प्रावधान है:- 20. Amendment in Memorandum of Association and bye-laws. - (i) Any Society desirous of making amendments or changes in its Memorandum of Association or bye-laws / Regulations including the change in the members of the Governing Body and / or Executive Body submit it to the IG, Registration with the request to register the said amendments and issue a certificate to this effect. (ii) The IG Registration shall, upon receiving the request, conduct hearing and invite objections from public at large by issuing general notice in newspapers at the expense of the society. (iii) After 30 days of publication of the notice in the newspapers, if no objection is received, the IG shall proceed to register the changes / amendments as requested at the expense of the Society. (iv) In case any objections are received or if the IG has reasons to believe that the matter needs further enquiry, he may seek a report from the concerned District Magistrate and/or proceed to hear the matter and pass such orders as he may deem fit.

- 19. वर्ष 2011 में The Societies Registration Act, 1860ं के प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष किया गया था, जिसकी सूचना सक्षम प्राधिकार को दिसम्बर, 2019 में प्रेषित करते हुए बासा उप—विधि को संशोधित किया जा चुका है। पूर्व केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा बासा के पत्रांक—12 दिनांक—14.07.2019 के प्रस्ताव संख्या 07 द्वारा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है, किन्तु उसे नियमानुसार संशोधित नहीं कराया गया है। अतएव, पूर्व केन्द्रीय कार्यकारिणी के तीन वर्ष के कार्यकाल के निर्णय को निरस्त करना श्रेयस्कर होगा। वर्त्तमान केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा आज इस निर्णय को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
- 20. Bihar Societies Registration Rules के अनुसार 2018 के पूर्व बासा उप—विधि में जो भी सुधार किया जाता था, उसे केन्द्रीय कार्यकारिणी एवं आमसभा से पारित कराना अनिवार्य होता था। किन्तु, वर्त्तमान संशोधन के पश्चात् बासा के उपविधि में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आमसभा से पारित कराकर इसे आवश्यक शुल्क जमा करने के बाद ऑनलाईन दायर कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उक्त के आलोक में निवर्तमान कार्यकारिणी द्वारा इस कार्यवाही की कंडिका 19 को छोड़कर अन्य निर्णय तथा आज की बैठक में उप—विधि संशोधन के लिए निम्न रूप से प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, उसे समेकित कर नियमानुसार आमसभा से पारित कराकर संशोधित कराने का निर्णय लिया गया।

21. प्रस्ताव—सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संघ के वार्षिक आम सभा की बैठक पूर्णतः नीतिगत निर्णय एवं सदस्यों के सेवाशर्त्त एवं उनके हितों पर विचार—विमर्श तथा निर्णय लेने हेतु आहूत की जाएगी। आम सभा एवं चुनाव की प्रक्रिया दोनों को अलग—अलग रखने का निर्णय लिया गया है। Mobile App के माध्यम से चुनाव, आम सभा, विभिन्न विषयों पर प्रॉक्सी वोटिंग के रूप में प्रयोग करने पर सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया। चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक ऑनलाईन किस प्रकार संचालित की जाए, इस विषय पर विशेष अध्ययन करने के लिए IT cell को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया, जो एक माह के अंदर इसका प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यकारिणी को समर्पित करेगी।

- 22. प्रस्ताव—सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों (Office Bearer) के कुल 8 पदों में से एक पद पर महिला पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों में से दो पद महिला सदस्यों के लिए न्यूनतम आरक्षित होगा। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यकारिणी के 27 सदस्यों में से 9 ऐसे सदस्य होंगे जो प्रत्येक प्रमण्डल का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतः प्रत्येक प्रमण्डल से कम से कम एक सदस्य कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में निर्वाचित/मनोनीत होंगे।
- 23. प्रस्ताव—New Rule 5 (i) (d) is added as amendment in bye-laws of Bihar Administrative Service Association as "It is compulsory to have at least one women officer as office bearer and at least two women officers as member of central working committee respectively. However in the event of women not being available or not willing to represent in the committee as office bearer or as member of central working committee by election, the seats reserved for her/them will be filled by nomination. Representation of woman is must."
- 24. प्रस्ताव-New Rule to be added as 5 (i) (e) is added as amendment in bye laws of Bihar Administrative Service Association as "The strength of the Central Executive Committee shall be as per the bye-laws .At least one member from every Division of the state shall be elected or nominated in Central Executive Committee."
- 25. प्रस्ताव—Rule 5(ii) to 5 (vi) deals with provision for election of Central Executive Committee. It is decided to delete Rule 5(ii) to 5 (vi) because in order to save money and valuable time of the members of the association, instead of conducting election on the day of annual general body meeting, a separate Programme of election will be announced at least 30 days before the due term of the present CEC by the President of present Central Executive Committee. Election will be conducted through electronic mode in order to ensure 100% voting and providing facilities of voting to all officers at the place of their posting. Accordingly new provisions are added in Bihar Administrative Service Association bye-laws.
- 26. प्रस्ताव-Words written in Rule 3(e)(iv) are deleted to the extent and except the word' "to appoint an auditor for the auditing the accounts of the Association." which will remain as it is.
- 27. प्रस्ताव—The word "chairman" used in Rule 5(vii) is being substituted here by the word "Returning Officer."
- 28. प्रस्ताव—Last two lines of Rule 5(vii) reads as "A member can stand for reelection to an office provided that no member shall hold the same office for more than two consecutive terms" which is proposed to be deleted and it is

- amended by substitution as "A member who has held the office of either President or General Secretary of Central Executive Committee of BASA for two term or for the period of maximum four years in his service period, shall not be eligible to hold the office of the President or General Secretary of Central Executive Committee of BASA.
- 29. प्रस्ताव-New Rule to be added as Rule 5(iii) Notice of election: The President has to issue notice of election at least 30 days prior to the date of conducting election.
- 30. Radia-New Rule to be added as Rule 5(iv) A Returning officer and an observer shall be appointed by the President & General Secretary of central executive committee from amongst the senior most/retired members of the Bihar Administrative Service30 days before from the date of proposed election date provided he/they are not intending to contest the election or propose any candidate.
- 31. प्रस्ताव-New Rule to be added as Rule 5(v) Assistant Returning officers for every district and at least 5 Assistant Returning officers for offices of secretariat and other offices excluding office of District Magistrate, Patna, have to be appointed by Returning officer from amongst the senior most/retired members of the Bihar Administrative Service posted in respective district headquarters 25 days before from the date of proposed election date of BASA provided they are not intending to contest the election or propose any candidate.
 - 32. प्रस्ताव- New Rule to be added as Rule 5(vi) Duties and functions of Returning Officer:
 - (a) To function as per Election Programme as notified by Returning officer on official website of BASA within 7 days of his appointment as Returning officer. The Returning Officer shall draw and declare a programme of various stages of election including place, date and time period during which polling through electronic mode shall take place, date, time and place for counting votes (Immediately after polling is over), date of declaration of results of voting (Immediately after counting of votes), on the Notice Board of the all BASA offices and Website.
 - (b) To invite nominations, to receive and scrutinize them, to exhibit list of valid nominations and list of final nominations after withdrawal of contesting candidates, if any,
 - (c) To furnish the result of election for being declared.
 - (d) To take such other actions as are necessary for and incidental to the election to Central Executive Committee of the BASA.
- 33. प्रस्ताव- New Rule to be added as Rule 5(vii) Duties and Functions of Assistant Returning officer: To assist the Returning officer and follow the commands and instructions of Returning officer.



- 34. प्रस्ताव- New Rule to be added as Rule 5(viii) Duties and Functions of observer:
 - Observer will supervise the entire election procedure and he may give direction and advice in writing to Returning officer in order to conduct free and fair election.
- 35. प्रस्ताव— New Rule to be added as Rule 5(ix)(a) Nomination: Any eligible member of BASA can file nomination on plain paper with his signature made in the presence of Returning officer during stipulated time and date by disclosing the name of only one vacancy or post for which he is willing to contest, his latest civil list number, place of posting. One member of BASA can file nomination paper for only one post or vacancy. Nomination paper shall be filed with signature and physical presence of at least ten independent proposers. Any member of BASA shall propose only one candidate for purpose of filing of nomination paper. Only Returning officer will receive the nomination paper for all vacancies.
 - (b) Commencement of filing Nomination: 21st day before the date of election.
 - (c) Last date of filing Nomination: At 5 PM on 20th day before the date of election.
 - (d) The date of publication of list of nominations received: On the last date and after the expiry of the time for nomination.
 - (e) Date of scrutiny of Nominations: Last day of the date nomination and after publication of list of nominations received. The nominations received till the last date and hour fixed for receiving nominations shall be scrutinized by the Returning Officer on the date fixed for scrutiny of nominations, in the presence of the candidates or their duly authorized representatives and the list of the valid nominations shall be published on the Notice Board just after the scrutiny of Nomination. The candidates whose nominations are rejected shall be informed by the Returning Officer in writing of the reasons for rejection of their nominations on the same day.
 - (f) Date on which candidature may be withdrawn: Nominations can be withdrawn by submitting application in person before Returning Officer within 24 hours from the publication of list of valid nominations.
 - (g) On the same day after the last date of withdrawal, the Returning Officer will have to notify final list of contesting candidates on notice board and official website of BASA.
 - (h) If valid numbers of nominations are equivalent to the number of seats on the Central Executive Committee, no election will be held. The Returning Officer has to declare that they are elected uncontested.
 - (i) Returning officer will proceed to fill up the remaining number of seats on the Central Executive Committee for which more than one nomination paper has been found valid.
 - (j) The voting shall start at 9 AM and continue till 3 PM on election date.

 Returning officer will decide and approve safe, secret and secured

- process of polling by electronic mode at least 48 hours before the date of election. He will seek the help of all Assistant Returning officers appointed for purpose of assisting him for each and every process of election and till the declaration of results of election.
- (k) The Returning Officer shall submit to the outgoing/newly elected members of central executive committee a report indicating the numbers of voters who voted, number of valid and invalid votes, and the names of the candidates with votes polled and the report shall be put on the Notice Board/Website of BASA office at the conclusion of the counting of votes.

(l) The final result of the election shall be declared just after conclusion of

- (m) All records pertaining to the election shall be carefully preserved in box duly locked and sealed by the newly elected General Secretary of the BASA for a period of 3 months and can be destroyed thereafter. However, if the result of the election is disputed, the records pertaining to election shall be preserved until the final decision of the dispute.
- (n) The Returning officer shall organize on second last day of election date, "Debate on agenda of contesting candidates for the post of President, Vice President, General Secretary, Joint Secretary and Treasurer" at meeting hall of BASA Bhawan. Accordingly, first half of second last day of election date will be earmarked for the post of the General Secretary, Joint Secretaries and second half of second last day of election date will be earmarked for the post of the President, Vice Presidents and Treasurer.
- (o) RO with help of ARO, will publish the voter list 24 hours before the schedule date of election. No dues certificate will be obtained from the joint signature of Treasurer and Joint Treasurer.
- 36. प्रस्ताव— New Rule to be added as Rule 5(x) A member of Bihar Administrative Service Association can vote through mobile/email on any issues/agenda brought before him for Annual General Body meeting.
- 37. प्रस्ताव— Bihar Societies Registration Rules, 2018, Published vide Notification No. BS³-100104/2013-874 dated 1.6.2018 के अनुसार Memorandum of Association and bye-laws संशोधन हेतु Rule 20 के अनुसार कारवाई की जानी है । अतः Rule 14 की दूसरी कंडिका में प्रयुक्त शब्द the societies Registration Act of 1860 in manner provided by section 12 and 12A of the said act are added as" read with Rule20 of Bihar Societies Registration Rules, 2018, Published vide Notification No. BS³-100104/2013-874 dated 1.6.2018.″
- 38. All proposed amendments in bye-laws made above are passed unanimously and further it is decided that it should be filed before I.G. Registration, Bihar, Patna as per prescribed rule.

39. संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री ओम प्रकाश यादव, श्री संजय कुमार, सेवा निवृत्त सदस्य श्री अजय कुमार द्वारा संघ के सदस्यों का उत्साइवर्धन किया गया। उनलोगों द्वारा वर्त्तमान

केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जा रहे कार्यों की सराहना की गई। साथ ही उनके द्वारा तकनीक के नए—नए प्रयोग को संघ में बढ़ावा देने तथा उसका प्रयोग सदस्यों के बीच हो, इसे सुनिश्चित कराने का विचार रखा गया। उनके द्वारा संघ के नए सदस्यों को नियम, कानून, सरकारी आदेश एवं अनुदेश की जानकारी देने हेतु कार्यशाला आयोजन किए जाने का भी विचार रखा गया। अंत में सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया कि संघ के सभी सदस्यों / पदाधिकारियों को संघ के निर्णय को आत्मसात् एवं स्वीकार करना चाहिए।

40. अंत में कार्यकारिणी के अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रत्येक जिले में संघ की नियमित बैठक आयोजित किया जाए एवं उसमें संघ के सभी सदस्यों / पदाधिकारियों को उपस्थित होना चाहिए। उनके द्वारा यह आह्वान किया गया कि संघ के सभी सदस्य इससे जुड़े रहें। उनके द्वारा सभी प्रमुख एजेंडों एवं भवन उपयोगिता के नये प्रस्ताव का स्वागत किया गया। अंत में महासचिव द्वारा सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0-

(अनिल कुमार)

ज्ञापांकः—/ प्रतिलिपिः—सभी अध्यक्ष / सचिव, सभी जिला इकाई / सभी सदस्य, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, बिहार एडिमिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। बासा बेवसाईट पर प्रकाशित।

ह0−

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक:—/ प्रतिलिपि:—निबंधन महानिरीक्षक, निबंधन, मद्य उत्पाद एवं निषेध विभाग, बिहार, पटना को सुचनार्थ प्रेषित।